<u>उत्तर मध्य रेलवे</u>

महाप्रबंधक कार्यालय
राजभाषा विभाग
प्रयागराज

पत्र संख्या : उ.म.रे./रा.भा./15/रेल मंत्री हिंदी निबंध प्रति. दिनांक : 01.05.2025

प्रधान मुख्य इंजीनियर, प्रधान वित्त सलाहकार, प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक,
प्रधान मुख्य बिजली इंजीनियर, वरि. उप महाप्रबंधक, प्रधान मुख्य यांत्रिक इंजीनियर,
प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक, प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक, प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी,
प्रधान मुख्य सिगनल एवं दूरसंचार इंजीनियर, प्रधान मुख्य सामग्री प्रबंधक,
प्रधान मुख्य संरक्षा अधिकारी, प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त,
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण), प्रयागराज,
उप महाप्रबंधक (सा.), मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, - प्रधान कार्यालय, प्रयागराज
मंडल रेल प्रबंधक - प्रयागराज, झाँसी, आगरा
मुख्य कारखाना प्रबंधक - झाँसी, सिथौली, सीएमएलआर झाँसी, रे.को.नवी.कार. झाँसी

विषय : रेल मंत्री हिंदी निबंध प्रतियोगिता, वर्ष 2025
संदर्भ : रेलवे बोर्ड का पत्र सं. हिंदी-2025/प्रशि.-7/6 दिनांक 29.04.2025.

रेलवे बोर्ड द्वारा उक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से रेल मंत्री हिंदी निबंध प्रतियोगिता – वर्ष 2025 के तहत प्रविष्टियाँ आमंत्रित की गई हैं। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अधिकारी/कर्मचारी को संलग्न मार्गदर्शी सिद्धांतों की मद सं. 5 में उल्लिखित विषय के संबंध में निबंध भेजना होगा। ये निबंध इंजीनियरी, विद्युत, दूरसंचार, वाणिज्य, परिचालन, वित्त आदि विभिन्न क्षेत्रों से हो सकते हैं, लेकिन निबंध को **'रेल संचालन और प्रबंधन'** से संबंधित होना आवश्यक है।

अनुरोध है कि कृपया उक्त योजना का अपने-अपने विभाग, कार्यालय, मंडल एवं कारखाने में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए तथा प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक अधिकारियों/ कर्मचारियों के निबंध **तीन प्रतियों में** इस कार्यालय को **30.06.2025 तक** अवश्य भिजवा दिए जाएं ताकि उन्हें समय से रेलवे बोर्ड भिजवाया जा सके। विषय क्षेत्र से बाहर एवं/या अंतिम तिथि के बाद प्राप्त निबंध स्वीकार नहीं किए जाएंगे। प्रतिभागियों के मार्गदर्शन हेतु प्रतियोगिता संबंधी नियम संलग्न है।

संलग्न : यथोक्त

01/05/25
(चन्द्र भूषण पाण्डेय)
वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी
कृते महाप्रबंधक (राजभाषा)

प्रतिलिपि :
1. सचिव, महाप्रबंधक उत्तर मध्य रेलवे, प्रयागराज।
2. निजी सचिव-I/अपर महाप्रबंधक, उत्तर मध्य रेलवे, प्रयागराज।

रेल मंत्री हिंदी निबंध प्रतियोगिता के मार्गदर्शी सिद्धांत

1.	**प्रतियोगिता का नाम**	रेल मंत्री हिंदी निबंध प्रतियोगिता
2.	**पुरस्कार की राशि**	दो प्रथम पुरस्कार 6000/- रुपए प्रत्येक (राजपत्रित और अराजपत्रित वर्ग के लिए) तथा दो द्वितीय पुरस्कार 4000/- रुपए प्रत्येक (राजपत्रित और अराजपत्रित वर्ग के लिए)
3.	**पात्रता**	(i) ऐसे रेल कर्मचारी चाहे वे स्थायी हैं अथवा अस्थायी, जिन्होंने 31 अक्टूबर तक रेल सेवा में 03 माह की अवधि पूरी कर ली हो, इस प्रतियोगिता में भाग लेने के पात्र होंगे। (ii) पिछले तीन वर्षों में रेल मंत्री हिंदी निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले (राजपत्रित/अराजपत्रित) पुरस्कार विजेता इस प्रतियोगिता में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे। (iii) राजभाषा संवर्ग से जुड़े अधिकारी/कर्मचारी इस प्रतियोगिता में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।
4.	**निबंध की शब्द सीमा**	निबंध की न्यूनतम शब्द सीमा 2000 तथा अधिकतम शब्द सीमा 2500 तक हो। इस शब्द सीमा से कम या अधिक होने पर निबंध अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
5.	**विषय**	निबंध का विषय रेल संचालन और प्रबंधन के किसी पहलू से संबंधित होना चाहिए।
6.	**प्रस्तुतीकरण**	निबंध डबल स्पेस में टाइप होना चाहिए तथा प्रत्येक पृष्ठ पर पृष्ठ संख्या अंकित होनी चाहिए। निबंध के पहले पृष्ठ पर एक शीट लगाई जाए, जिस पर निम्नलिखित विवरण अंकित किया जाए :- 1. रेल मंत्री हिंदी निबंध प्रतियोगिता 2. विषय 3. शब्दों की संख्या 4. नाम पदनाम 5. कार्यालय का पता 6. रेलवे/मोबाइल फोन नंबर 7. ई-मेल यह भी ध्यान दिया जाए कि निबंध के किसी भी पृष्ठ पर नाम नहीं लिखा होना चाहिए और न ही हस्ताक्षर किए होने चाहिए। इसका पालन न किए जाने पर संबंधित निबंध को प्रतियोगिता में शामिल नहीं किया जाएगा।
7.	**भेजने की विधि**	निबंध प्रधान कार्यालय के माध्यम से बोर्ड को भेजे जाएंगे। बोर्ड कार्यालय में सीधे भेजे गए निबंधों पर विचार नहीं किया जाएगा।
8.	**प्रति व्यक्ति निबंधों की संख्या**	प्रत्येक रेल कर्मचारी केवल एक निबंध (तीन प्रतियों में) प्रस्तुत कर सकेगा।
9.	**निबंध भेजने की अंतिम तारीख**	प्रधान कार्यालय में निबंध प्राप्त करने की अंतिम तारीख **30.06.2025** है। इस तिथि के बाद प्राप्त निबंधों पर विचार नहीं किया जाएगा।
10.	**मूल्यांकन की विधि**	रेलवे बोर्ड में प्राप्त निबंधों का मूल्यांकन बोर्ड द्वारा नामित 2 सदस्यों की एक समिति द्वारा किया जाएगा।
11.	**पुरस्कार वितरण**	इस प्रतियोगिता के पुरस्कार रेलवे बोर्ड के राजभाषा निदेशालय द्वारा आयोजित किसी कार्यक्रम में प्रदान किए जाएंगे।
12.	**अंतिम निर्णय**	पुरस्कार दिए जाने के संबंध में रेलवे बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा और इसे कोई चुनौती नहीं दी जा सकेगी।
13.	**प्रकाशन**	पुरस्कृत निबंध अथवा कोई भी अन्य निबंध बोर्ड के स्वविवेक पर किसी भी रूप में प्रकाशित किया जा सकेगा।
14.	**प्रतिलिप्याधिकार**	सभी निबंधों का प्रतिलिप्याधिकार बोर्ड कार्यालय के पास निहित होगा।